कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती।

पत्रांक 3631 /7–पंचायत/स्व0भार0मि0(ग्रा0)/2024–25 दिनांक 28 नवम्बर 2024

1. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
2. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0)

जनपद– बस्ती।

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के दृष्टिगत निर्मित आर०आर०सी० के रख–रखाव/संचालन के सम्बन्ध में।

–:–:–:–:–

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) उ0प्र0 के पत्र संख्या–5/1774/2024–5/ /20 लखनऊ दिनांक 14 नवम्बर 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत जनपद के समस्त ग्रामों को ओ०डी०एफ० प्लस मॉडल किया जाना लक्षित है। ओ०डी०एफ० प्लस के मानकों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में आर०आर०सी० का निर्माण कराया जा रहा है परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि ग्राम पंचायतों में निर्मित आर०आर०सी० संचालित नहीं हो रहे हैं।

आर०आर०सी० के संचालन के लिये आवश्यक है कि स्रोत से (घर पर) ही गीले और सूखे कचरे को अलग–अलग करके इस कार्य के लिये निर्धारित वाहन द्वारा एकत्रित कराया जाये तथा आर०आर०सी० पर लाकर कचरे का समुचित प्रकार से प्रबन्धन/निपटान की व्यवसथा बनायी जाये। गीले कचरे से खाद तैयार करने एवं सूखे कचरे को कबाड़ी वालों/रिसायकिलर्स आदि के माध्यम से निस्तारित कराने की व्यवस्था बनाई जाये। ग्राम पंचायतों में पॉलीथीन/प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाये। इस प्रकार ग्राम पंचायत के सभी घरों, वाणिज्यिक संस्थानों, सरकारी संस्थानों से दैनिक रूप से उत्सर्जित कचरे के प्रबंधन के लिये आर०आर०सी० के संचालन की व्यवसथा बनाया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इस विषय पर राज्य स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर 10 अनुभवी प्रशिक्षकों का एक मूल तैयार किया जाना है। जिससे 02–02 प्रशिक्षकों की 05 टीमें बनाकर विकास खण्ड की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इन टीमों के माध्यम से ट्रेनिंग/ट्रिगरिंग के द्वारा प्रतिदिन नियत समय पर कचरे का सही कलेक्शन कचरा वाहन के रूट चार्ट के आधार पर संचालन. आर०आर०सी० की व्यवस्थित संचालन, चार्जेस का कलेक्शन एवं निगरानी समितियों के गठन आदि की व्यवस्था बनाई जा सके। प्रशिक्षकों का चयन निम्न आधार पर किया जा सकता है:–

1. खण्ड प्रेरक (एसबीएम–जी) प्रधान, सचिव, महिला सामाख्या की सदस्य, नेहरु युवा केन्द्र, आर्ट आफ लिविंग के सदस्य, गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य, यूनिसेफ वर्ल्डबैंक, वाटरएड आदि एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञ ।
2. प्रतिभागियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि प्रतिभागी के पास प्रशिक्षण मे भाग लेने के लिये तथा प्रशिक्षण देने के लिये भी पर्याप्त समय की उपलब्धता हो। प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि अभिप्रेरित (Motivated) व्यक्तियों का ही चयन किया जाये।
3. अपने विकास खण्ड अथवा अन्य विकास खण्डों में प्रशिक्षण देने हेतु भ्रमण कर सके।
4. प्रशिक्षको की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट होनी चाहिए तथा ग्रामीण परिवेश में कार्य करने के इच्छुक हो।

Scanned with CamScanner

जनपद के प्रत्येक विकास खण्डों से 10 कुशल एवं अनुभवी प्रशिक्षिकों का चयन कर उनकी विकास खण्डवार सूची(नाम व सम्पर्क सूत्र के साथ) राज्य मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने विकास खण्डों से 10 कुशल एवं अनुभवी प्रशिक्षिकों का चयन कर उनकी सूची(नाम व सम्पर्क सूत्र के साथ) 03 दिवस में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे विकास खण्डवार सूची(नाम व सम्पर्क सूत्र के साथ) राज्य मिशन कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराया जा सके।

(रवीश गुप्ता)
जिलाधिकारी
बस्ती।

पत्रांक 3631/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला पंचायत राज अधिकारी बस्ती।
2. मुख्य विकास अधिकारी बस्ती।
3. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) उ0प्र0 लखनऊ।

जिलाधिकारी
बस्ती।

Scanned with CamScanner